राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 ( )/एनएचएम/भा.स्वा.बी.यो./2018–19/909 दिनांक : 21-6-2019

एक्सरे/एम.आर.आई./सीटी स्कैन के संबन्ध मे आवश्यक सलाह (Advisory)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रिजेक्टेड क्लेम्स की सुनवाई के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि अस्पतालों के काफी क्लेम्स सही प्रकार से डॉक्यूमेन्ट्स (एक्सरे/एम.आर.आई./सीटी स्कैन की फिल्म) अपलोड नही होने एवं साफ दिखाई नही देने के कारण निरस्त हो रहे हैं।

मिनिमम डॉक्यूमेन्ट प्रॉटोकॉल (एम.डी.पी.) के अनुसार प्री एवं पोस्ट ऑपरेशन की एक्सरे/एम.आर. आई./सीटी स्कैन की फिल्म क्लेम्स सबमिट करते समय लगायी जानी आवश्यक है। किन्तु यह देखने में आया है कि अस्पताल फिल्म को स्कैन करके अपलोड करते है जिस कारण क्लेम सेटलमेन्ट के दौरान स्कैन की गई फिल्म साफ दिखाई नही देती हैं।

अतः सभी अस्पतालों को यह सलाह प्रदान की जाती है कि प्रथमतया एक्सरे/एम.आर.आई./सीटी स्कैन की फिल्म को X-ray Viewer या light Box में रखकर फिल्म की फोटो लेवे तत्पश्चात सॉफ्टवेयर में अपलोड करावें जिससे की क्लेम्स प्रोसेसिंग सुगमता से हो सके तथा अनावश्यक क्लेम्स रिजेक्ट नही हो।

(डॉ.समित शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ1008 ( )/एनएचएम/भा.स्वा.बी.यो./2018–19/909 दिनांक : 21-6-2019
प्रतिलिपी – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, समस्त।
4. संभागीय संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
5. संभागीय उप–निदेशक, समस्त संभाग।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
7. जिला नोडल अधिकारी एवं उप/अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (एनएच.एम./एन.यू.एच.एम.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की सभी संबद्व चिकित्सालयों में पालना सुनिश्चित की जाये।
9. योजना से सम्बद्ध सभी राजकीय व निजी अस्पताल।
10. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी